सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 35 राँची, गुरुवार

17 माघ 1935 (श०)

6 फरवरी, 2014 (ई०)

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

---

### संकल्प

21 जनवरी, 2014

**विषय**--'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने के सम्बन्ध में।

**संख्या-622**--झारखण्ड राज्य में स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने के लिये श्रम नियोजन विभाग, तत्कालीन बिहार सरकार के परिपत्र संख्या-806, दिनांक 03 मार्च 1982 को अधिसूचना संख्या-3389, दिनांक 22 सितम्बर 2001 द्वारा संशोधन के साथ अंगीकृत किया गया जिसके अनुसार जिला विशेष के संदर्भ में वैसे व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति माने जायेंगे जिनका स्वयं का अथवा जिनके पूर्वजों के नाम जमीन, वासगीत आदि पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राईट्स में दर्ज हो।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-4536, दिनांक 08 अगस्त 2002 तथा 4737, दिनांक 19 अगस्त 2002 के द्वारा स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित किया गया, किन्तु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाएँ डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 की सुनवाई के बाद दिनांक 27 नवम्बर 2002 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा संकल्प संख्या-4737, दिनांक 19 अगस्त 2002 को निरस्त कर दिया गया, साथ ही ''स्थानीय व्यक्ति'' को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश निर्धारित करने को राज्य सरकार को स्वतंत्र किया गया।

3. उक्त न्याय निर्णय की कंडिका-57 निम्नरूप से उद्धृत है:-

"However, it is open to the State of Jharkhand to redefine the 'local persons' and to re-prescribe the guidelines for determination of 'local persons' taking into account the relevant history of the State, such as, reorganization as taken from time to time; emigration of persons; as taken place during the last fifty years, settlement of refugees etc., as discussed above."

4. इस संदर्भ में विभागीय संकल्प संख्या-7132, दिनांक 30 दिसम्बर 2002 द्वारा एक समिति गठित की गई थी और उसे संकल्प संख्या-3928, दिनांक 27 जून 2008 द्वारा पुर्नगठित किया गया। पुनः ''स्थानीय व्यक्ति'' को परिभाषित करने हेतु संकल्प संख्या-1885 दिनांक 09 अप्रैल 2011 द्वारा गठित उप समिति से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उपर्युक्त सुझाव के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा 'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति के पहचान के मानदण्ड सम्बन्धी दिशा-निदेश गठित करने के सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाती है।

इस समिति में निम्नलिखित महानुभाव सदस्य होंगे:-

(i) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, वित्त मंत्री (संयोजक)

(ii) श्री चम्पई सोरेन, परिवहन मंत्री

(iii) श्रीमती गीताश्री उराँव, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग

(iv) श्री सुरेश पासवान, मंत्री, नगर विकास विभाग

(v) श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0

(vi) श्री लोबिन हेम्ब्रम, स0वि0स0

(vii) मो0 सरफराज अहमद, स0वि0स0

(viii) श्री विद्युत वरण महतो, स0वि0स0

(ix) श्री संजय सिंह यादव, स0वि0स0

यह समिति विचार कर अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित करेगी।

6. उक्त समिति को सचिवालीय सहायता, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

7. यह संकल्प, संकल्प संख्या-11975 दिनांक 12 दिसम्बर 2013 का स्थान लेगी और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश: आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**एस0के0 शतपथी**,

सरकार के प्रधान सचिव।

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 35—50।